कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/अनु.नियु./ए–2/61220/दिशा–निर्देश/24/ दिनांकःयथा हस्ताक्षर

अत्यावश्यक

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. समस्त संस्था प्रधान/पीईईओ/सबंधित नियंत्रण अधिकारी

विषयः– अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के समयबद्व निस्तारण के संबंध में।
प्रसगः– कार्यालय हाजा द्वारा पूर्व प्रसारित निर्देश कमांक शिविरा माध्य/साप्र/ए–2/61220/दिशा–निर्देश/2022 दिनांक 05.03.2022 एवं शिविरा–माध्य/अनु.नियु. 61217/मूल अनु.नियु./2024 दिनांक 28.02.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित प्रांसगिक निर्देशों के अनुवर्तन में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.1996 के अनुसार मृतक आश्रित को अनुकपात्मक नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान है जिसमें मृतक आश्रितों को राहत प्रदान करने हेतु प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन भी जारी किये गये है। तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रकरणों में वांछित शिथिलन प्रदान करने बाबत स्वीकृति भी प्रदान की जाती रही है।

शासन के निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण का निस्तारण उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार से पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, किन्तु विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों को नियुक्ति के प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने में असाधारण विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों का मूल उद्वेश्य ही समाप्त हो जाता है।

विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का नियमान्तर्गत परीक्षण कर भिजवाने हेतु जॉच सूची निर्धारित की गई है, तदनुसार प्रकरणों का परीक्षण कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, किन्तु अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रकरणों का निर्धारित जांच सूची अनुसार परीक्षण किए बिना ही प्रकरणों में नियुक्ति की अभिशंषा कर निदेशालय भिजवाये जाते है। कई प्रकरण तो ऐसे भी ध्यान में आये हैं कि आवेदक के पात्र नहीं होने के उपरांत भी प्रकरण में नियुक्ति की अभिशंषा कर प्रकरण निदेशालय को भिजवा दिये जाते हैं, जिसके कारण प्रकरण निस्तारण मे अनावश्यक विलम्ब कारित होता है। शासन के निर्देशानुसार कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित की ही नियुक्ति देय है और किसी अवयस्क के वयस्क होने तक प्रकरणों को लम्बित रखे जाने का अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 में प्रावधान नहीं है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी तथा संबंधित नियंत्रण अधिकारी/संस्था प्रधान/पीईईओ को केस प्रभारी नियुक्त किया गया है।

लगातार.........2

RajKaj Ref No.: 11627369

संबंधित केस प्रभारी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 16.07.2021 में वर्णित दायित्वों को गंभीरता पूर्वक निर्वहन करते हुए कार्मिक की मृत्यु उपरान्त तत्काल पात्र आश्रित से आवेदन प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर ही कार्यवाही कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण का परीक्षण नियमान्तर्गत जांच सूची के अनुसार करेंगे तथा प्रकरण को स्पष्ट अभिशंषा सहित उचित माध्यम से निदेशालय भिजवाएँ जाने की सुनिश्चितता करेंगे। मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने संबंधी प्रकरणों के समय पर निस्तारण न होने एवं अनावश्यक लंबित रहने पर समस्त उत्तरदायित्व केस प्रभारी का होगा।

भविष्य में बिना परीक्षण किये प्रकरण प्राप्त होने अथवा प्रकरण भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब पाये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

संलग्नः— परिपत्र दिनांक 16.07.2021

(आशीष मोदी)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थः—

1. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन कार्यालय हाजा।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. समस्त अनुभाग/ग्रुप अधिकारी कार्यालय हाजा।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :08-11-2024 03:22:23